

**पेगासस एसेट्स रिकॉस्ट्रक्शन इंटरटेनमेंट लिमिटेड**  
 निगमित कार्यालय : 85-56, 5वीं तल, ग्रीस प्रेस हाउस, बज्जत, मुंबई-400021  
 पंजीकृत कार्यालय : 807, दामाल हाउस, जमनालाल बज्जत मार्ग, नरैमन पॉइंट, मुंबई-400021

**ई-नीलामी द्वारा विद्यय की सार्वजनिक सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों का विक्रय।**

एवमुद्रा सरसंधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं), सह-ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(रीं) तथा बंधकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता, पेगासस एसेट्स रिकॉस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो पेगासस 2023 ट्रस्ट 04 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत है, के पास बंधकृत / प्रभारित निम्न विवरणित प्रतिभूति परिसंपत्तियों को सरकोएरि अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एवाइडमेंट अनुबंध दिनांकित 28-03-2023 के माध्यम से जमा प्लांट फाइनस बैंक लिमिटेड द्वारा रजिस्ट्रारकरी प्रतिभूतियों के हित के साथ निम्न वर्णित एवाइडमेंट अनुबंध को सौंपा जा रहा है, सरकोएरि अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित निगमावली के अंतर्गत उसका "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर 15-10-2024 को विक्रय किया जा रहा है।

जेएफएफबीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने सरकोएरि अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित निगमावली के अंतर्गत उसका "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर 15-10-2024 को विक्रय किया जा रहा है।

जेएफएफबीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने सरकोएरि अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचित निगमावली के अंतर्गत उसका "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर 15-10-2024 को विक्रय किया जा रहा है।

**उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रीं) के नाम :**

का) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**बकाया देयकारियों, जिस हेतु प्रतिभूत परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**बकाया देयकारियों, जिस हेतु प्रतिभूत परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**अचल संपत्ति के स्वरूप में विद्यमान प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण, जिसे बेचा जा रहा है**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**आरक्षित मूल्य, जिससे कम पर प्रतिभूत परिसंपत्ति नहीं बेची जायेगी (₹. में) :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**बरोहर राशि जमा (सकल) :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति के समक्ष अप्रसारित किया गया है तथा प्रतिभूति ऋणदाता को विधित कोई अन्य देयकारि एवं मूल्य**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**संपत्तियों का निरीक्षण :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**संपर्क हेतु व्यक्ति तथा दूरभाष सं.:**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**बोली जमा करने की अंतिम तिथि :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

**बोली खोलने का समय एवं स्थान :**

क) मैसर्स एलएलएलक इंटरटेनमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड (एलएलएलक) को विरचित याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (आयकरतां) ग) श्री राजू राय याचक पुत्र श्री जय देव याचक (गारंटर) घ) श्री विक्रान्त याचक पुत्र श्री राजू राय याचक (गारंटर) ङ) श्रीमती दीप याचक पत्नी श्री विरेश याचक (गारंटर)

यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत पंढर (16) दिवसीय सूचना भी है।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता को वेबसाइट अर्थात् <http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html> अथवा वेबसाइट ([www.foreclosureindia.com](http://www.foreclosureindia.com)) (<https://bankauctions.in>) का सर्वेक्षण करें अथवा किसी भी बोली को प्रस्तुत करने से पूर्व तथा प्रदात्री मैसर्स 4 क्लोरजर उक्त सर्वेक्षण अथवा संपर्क नंबर : 8515160064ए ईमेल आईडी : [info@bankauctions.in](mailto:info@bankauctions.in) या <https://bankauctions.in> पर संपर्क करें।

हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी, वेबसाइट एक्सेट्र सिंगेण्डर प्राइवेट लिमिटेड  
 दिनांक : 23/09/2024

**पंच सं. आईएनसी-26**  
 [पंचनी (निगम) निगमावली, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत में]

एक नाम से दूरेत राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये सभापत्र पत्र में विद्यमान केन्द्र सरकार, उच्च क्षेत्र पीठ दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगम) निगमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में तथा

**मै. ओमेन वैश्विक ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड**  
 विरका पंजीकृत कार्यालय : 1/15, ऊपरी की.एफ, मोता कालोनी, मॉडर के निकट, दिल्ली भारत-110031, में है के मामले में

आवेदक एवमुद्रा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "ग.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम योधा नगर" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को समझ बनाने के लिए मुस्यवर, 19 सितम्बर 2024 को आवेदनित पार्षिक आमरण में पठित विशेष प्रस्ताव के अनुसूचक कंपनी के मेम्बरों सह आर् एसेट्स/प्रकारण के पत्रिणित की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत वह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमएफडी 21 फॉर्म ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) पर निवेदन लिखित्य प्रारंभ दखिखत करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उरनी एक प्रति के साथ इन सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आवेदन के कारणों का उल्लेख करते हुए शरण तथा धारा समर्पित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, वॉरिंटेड ब्यांज प्रभार, पी-2 भिग, 224 तल, प. वी. दीन दयाल अन्वयेधन भवन, तीलीबी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करवाएं या जमा करवाएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

**पंजीकृत कार्यालय :** 1/15, ऊपरी की.एफ, मोता कालोनी, मॉडर के निकट, दिल्ली भारत-110031  
 कृपे एवं के लिये,  
 ओमेन वैश्विक ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड  
 हस्ता./-  
 प्रिन्स निगर् (निदेशक)  
 DIN: 10432502

**बैंक ऑफ बड़ोदा**  
 233, नू आर्व नगर शाखा,  
 गाँवियाबाद, उ.प्र. 201001

**कच्चा सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)**

जेस कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ोदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी के प्रयोगांतर्गत एक नाम सूचना दिनांकित निम्न वर्णितानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवस के अंदर, प्रतिभूतिगत बन्ध को कस गया था।

ऋणकर्ता निर्धारित देयराशि का प्रतिभूतिगत करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि ऋणकर्ता ने यहां 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्तन अधिकारी के प्रयोगांतर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व विक्री भी प्रकर का लेन-देन, यहां इसमें निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्नांकित तिथि से इस राशि पर आकस्मिक ब्याज एवं दायित्व ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभारभोगी होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ एतद्वारा सभ्य के परिक्षेय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों की और आकृष्ट किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

1. शॉप नं. 5, 4 माप 27.69 वर्ग मीटर तथा शॉप नं. 2, माप 14.39 वर्ग मीटर, कुल माप 42.08 वर्ग मीटर (छत के अधिकांश के साथ), 1 ला तल, प्लॉट नं. 2, ई 221, ब्लॉक ई, नेहरू नगर, गाँवियाबाद, उ.प्र. की व्यवसायिक संपत्ति का स्थान (वाणिज्यिक संपत्ति की कतिपय प्रस्ताव अग्राहक के नाम में)

शॉप नं. 5, 4 की दिशाएं : पूर्व : 4 फीट 6 इंच ब्रांड परीस, पश्चिम : मुसुत पर अम्येकन रोड, उत्तर : 30 फीट रोड, दक्षिण : अक्षिण नं. 3

शॉप नं. 2 की दिशाएं : पूर्व : 4 फीट 6 इंच ब्रांड परीस, पश्चिम : मुसुत पर अम्येकन रोड, उत्तर : अक्षिण नं. 3, दक्षिण : अक्षिण नं. 1

दिनांक : 21.9.2024, स्थान : गाँवियाबाद, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ोदा

**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, वेंकटर ए, वैश्विकबुलव विजयनगर पार्क, न्यायप्रदायक कक्ष  
 मार्ग, सेक्टर पेंडर, मुंबई-400013, सी.एच.ए.एल. सं. : 667190एचएच2008बीएलबी18752

**अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)**  
 (प्रतिभूति हित प्रवर्तन विनियमाली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित विवरण IV के अनुसार)

जहांकि, अधोहस्ताक्षरता ने **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी के प्रयोगांतर्गत एक नाम सूचना दिनांकित निम्न वर्णितानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवस के अंदर, प्रतिभूतिगत बन्ध को कस गया था।

ऋणकर्ता निर्धारित देयराशि का प्रतिभूतिगत करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि ऋणकर्ता ने यहां 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रवर्तन अधिकारी के प्रयोगांतर्गत, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व विक्री भी प्रकर का लेन-देन, यहां इसमें निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्नांकित तिथि से इस राशि पर आकस्मिक ब्याज एवं दायित्व ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभारभोगी होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ एतद्वारा सभ्य के परिक्षेय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों की और आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण	वित्तीय परिसंपत्ति (रु. में)	वित्तीय परिसंपत्ति (रु. में)	वित्तीय परिसंपत्ति (रु. में)	वित्तीय परिसंपत्ति (रु. में)
9669765 & 10663068	श्री अरुण सिंह पुत्र श्री रमेश चंद्र (ऋणकर्ता के रूप में) और श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री अनेक सिंह (सह-ऋणकर्ता के रूप में)	रु. 21,05,939/-	रु. 21,05,939/-	18-09-2024
72CH001728000100110080	श्री जयदीप सिंह पुत्र श्री हर दयाल (ऋणकर्ता के रूप में) और श्रीमती के.ए. प्रीति पत्नी श्री जयदीप सिंह (सह-ऋणकर्ता के रूप में)	रु. 13,06,986 /-	रु. 13,06,986 /-	18-09-2024
28CH0072800010111058	श्री जयदीप सिंह पुत्र श्री हर दयाल (ऋणकर्ता के रूप में) और श्रीमती के.ए. प्रीति पत्नी श्री जयदीप सिंह (सह-ऋणकर्ता के रूप में)	रु. 57,342 /-	रु. 57,342 /-	18-09-2024

**प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण** - प्लॉट नंबर 51 पर निर्मित आवासीय घर के समस्त वह नाम तथा अंश, जिसका अधिगमण 82.05 वर्ग मीटर (50'x17'665") है, जिसका कुल कर्वाड एरिया अधिगमण 75.664 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 474 में समाहित, मौजा रोहत, नवीन सुरक्षा विहार के नाम से विदित स्थान, सेक्टर-01, तहसील और जिला आगरा - 282001 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, विक्रय विवेक में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ है। सौंपाएं : पूर्व - प्लॉट संख्या 84, पश्चिम - निकसल और तत्परवात सड़क (7.5 मीटर चौड़ी), उत्तर - प्लॉट संख्या 52, दक्षिण - प्लॉट संख्या 10

**प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण** - आवासीय मूकड संख्या 14 के समस्त वह नाम तथा अंश, जिसका अधिगमण 112.5 वर्ग मीटर अर्थात् 94.06 वर्ग मीटर (45'x22'45") है, जो खसरा सं. 273.274 और 275 में समाहित, मौजा माहोली, मुसुत वाटिका कालोनी के नाम से विदित स्थान, मुसुत, तहसील और जिला - 281004 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, विक्रय विवेक में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ तथा इस प्रकार परिसीमित है : सौंपाएं : पूर्व - प्लॉट नंबर 29, पश्चिम - सड़क 265 चौड़ी, उत्तर - प्लॉट नंबर 15, दक्षिण - प्लॉट नंबर 13

**दिनांक** : 23-09-2024  
**स्थान** : आगरा (उत्तर प्रदेश)  
 हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी  
 कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**कायालय: रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकारी-I, दिल्ली**  
 4था तल, जीवनदाता भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

**बिक्री उद्घोषणा**

**टी.आर.सी. नं. 2749/2022**  
 कर्नाटक बैंक बनाम जानवी एंटरप्राइजेज एवं अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आचकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

(सौदी 1) मैसर्स जानवी एंटरप्राइजेज, इसके मालिक - धीरेंद्र कुमार याचक पुत्र स्वर्गीय भजन लाल याचक द्वारा प्रतिनिधित्व, व्यवसाय: एच-17/4, दुकान संख्या 7, पार्क वॉय कॉम्प्लेक्स, टैक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 अन्य स्थान: धीरेंद्र कुमार याचक पुत्र स्वर्गीय भजन लाल याचक, मैसर्स जानवी एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर, निवासी मकान संख्या 17, ब्लॉक-ए, सेक्टर 15, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301

(सौदी 2) निगम याचक पत्नी धीरेंद्र कुमार याचक, निवासी मकान संख्या 17, ब्लॉक-ए, सेक्टर -15, नोएडा, जिला गौतम बुद्धनगर, उ.प्र.-201301

1. जैसा कि लेनदारों से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लगातार तथा प्रभारों सहित 19.12.2016 से वसूली तक 12% वार्षिक भावी ब्याज तथा लागतों सहित रु. 2,46,62,468.40/- की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-क' द्वारा 2014 का ओए नं. 293 में वसूली प्रमाणपत्र नं. 2749/2022 आह्वित किया गया है।

2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरों ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. तथा जैसा कि लागतों तथा प्रभारों सहित 19.12.2016 से वसूली तक 12% वार्षिक भावी ब्याज तथा लागतों सहित रु. 2,46,62,468.40/- की राशि के तहत बकाया होगा। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थान आदेश की अनुपस्थिति में 25.10.2024 को 12.00 बजे अप. से 1.00 अप. बजे के बीच, यदि जरूरी तो 1.00 अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट <https://www.bankeuctions.com> पर होगी।

4. ई-नीलामी की जाने वाली प्रस्तावित सूचना का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमपी	ईएमपी
1	संपत्ति संख्या 17, ब्लॉक-ए, सेक्टर 15, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।	रु. 5,20,00,000.00	रु. 52,00,000.00

5. ईएमपी पहचान प्रमाण (कोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वामिणिय प्रति सहित विस पर भावी सम्पर्क का पता तथा स्व-प्रमाणित पैन की प्रति संलग्न हो, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली खाता टी.आर.सी. सं. 2749/2022 के पक्ष में हिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना है जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली के पास अधिकतम 22.10.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई ईएमपी पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकल बोलीदाता के मामले में उक्त नाम समाबोजित कर ली जायेगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया को समाप्त के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पर्यन्त प्रत्यक्ष रूप से अपनी ईएमपी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं।

6. ईएमपी सेवा लिफ्टफे कर प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर आदि सहित "टी.आर.सी. सं. 2749/2022" लिखा होता चाहिए।

7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास एक वैध लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड और ई-मेल पता तथा पैन नम्बर होना चाहिए। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें: मैसर्स सी। इण्डिया प्रा.लि., गुल्फ केंद्रकालोनी नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-11, गुरुग्राम (हरियाणा) हेल्ल लान नं. 91-124-4302020/21/22/23, विनोद चौहान, मोबाइल नं. 9813887931, वेबसाइट : <http://www.bankeuctions.com> तथा ई-मेल आईडी : [support@bankeuctions.com](mailto:support@bankeuctions.com)

8. सम्भावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना तथा अधिम में मैसर्स सी-1 अडिवा प्राइवेट लिमिटेड से युजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है।

9. सम्बन्धित बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :

नाम तथा पद	ई-मेल तथा दूरभाष सं.
कृष्णा ठाकुर (मुख्य प्रबंधक) आरिन्त वसूली प्रबंधन शाखा, नई दिल्ली	ईमेल: मोबाइल नंबर 9319891680 प्लॉट नं. 8-वीं, पहली मंजिल, राजेंद्र पार्क, पृथक रोड, नई दिल्ली - 110060

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें लिए सॉर्टिकेडट देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार है। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री "जहां है जैसी है" और "जो है वही है" तर्क पर की जाएगी।

11. सम्भावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण बिक्री की तिथि से पूर्व किया जा सकता है जिन्हें लिए उपर्युक्त बैंक के नामित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

12. आतंकिक घरे घरे पर अधोहस्ताक्षरों के पास बिना कारण बताए किसी भी संपत्ति किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमपी डीआरटी-1 की रजिस्ट्री से पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी मोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमपी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि अंतिम समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली/या बैंक से संपर्क करें।

14. बिक्री उपरोक्त नामित सौदी को संपत्ति की होनी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावा जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा, यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से को बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत ठेक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नफे डायन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए समुत रूप्य जाता है कि संपत्ति ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरों को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को ठेक दिया जाएगा।

16. कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति को बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्य का निर्वाह करता है, बोली लगाने, कोई हित अर्जित करने या बेचे का प्रस्ताव नहीं करेगा।

17. बिक्री आचकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत न्याय या नियमों और आगे की शर्तों के अधीन होगी: संपत्ति अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरों की सर्वेक्षण जानकारी के अनुसार है, लेकिन अधोहस्ताक्षरों इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानों या चूक के लिए जबाबदार नहीं होंगे।

18. विस शर्तों से बोली बड़ाई जानी है वह रूप में 1,00,00,000 (एक करोड़ लाख मात्र) के गुण में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को नवीन नीलामी के लिए रखा जाएगा।

19. सरकल/उत्पन्न बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उसके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य रूप से अपर्याप्त लगे तथा एका करण मूल्य रूप से अभाववाहक हो तो अधोहस्ताक्षरों स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।

20. सरकल/उत्पन्न बोलीदाता ईएमपी समाबोजित करने के बाद ई-नीलामी को समाप्त तथा उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली खाता "टी.आर.सी. सं. 2749/2022" के पक्ष में धरोहर (ईएमपी) समाबोजित करने के बाद 25% कस राशि राशि का डीडी/पे आर्डर जमा करना होगा जो रिकवरी अधिकारी कार्यालय में इस प्रकार भेजनी-जमा करनी होगी जो ई-नीलामी को समाप्त के 3 दिनों के भीतर पहुंच जाऊ, अन्यथा धरोहर राशि (ईएमपी) जवन कर ली जाएगी।

21. सरकल/उत्पन्न बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15दिन दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में रजिस्ट्रार, डीआरटी-क दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज ब्याज के साथ रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क के समक्ष शेष 75% बिक्री राशि का "रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली खाता टी.आर.सी. 2749/2022" के पक्ष में हिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर का भुगतान करना होगा। (इसका द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उपरोक्त रूप से रिकवरी अधिकारी पास पहुंच जाएगा।)

22. निर्धारित अधिम में भुगतान में चूक करने पर बिक्री को नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्च को डेडें करने के बाद अधोहस्ताक्षरों यह उपर्युक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जवन कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दाये करने से वंचित हो जाएंगे बिरफेद लिये बाद में उसकी बिक्री की जाएगी।

**सम्पत्ति की अनुसूची**

लॉट सं.	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिकारी का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	संपत्ति संख्या 17, ब्लॉक-ए, सेक्टर 15, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।		कोई सूचना प्राप्त नहीं	

हेर हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 18.09.2024 को दी गयी।

हस्ता./- रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली

**यूको बैंक** (एचएनएस एचएचएफ को उपकरण) **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking) **आचलिक कार्यालय, वसुली विभाग, अग्रम तल, 5 संसद भवन, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23753827, 011-49498261, 011-49498285**

**ई-नीलामी बिक्री सूचना** (सरकारी अधिनियम, 2002 के तहत)

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगम, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरकारी अधिनियम) के तहत बैंक के पास बंधक अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री।** नीचे उल्लिखित कर्जदार के खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण